

Rural Work Department, Works Division, Madhubani

List of New Road Entry in Project Module on MIS

Sl No.	Scheme	Division	Assembly	Block	Sanction Year	Name of Road/ Bridge	AA letter No. & date	Length (in km)	Main Work Amount (In Lacs)	Maintenance Amount (In Lacs)	Contingency Amount (In lacs)	Total Amount (In lacs)
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	MINGSUY(SC)	Madhubani	Madhubani	Rahia [Madhubani]	2024-25	Katrail to Katrail Goth	698/31.03.2025	1.430	67.938	-	-	67.938

Executive Engineer
Rural Works Department
Works Division, Madhubani

[Signature]



बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक-मुओओ (ओओओ)-4515-01-97/2025 - 698

/पटना, दिनांक- 31-03-2025

प्रेषक,

सज्जत कुमार शिब, माधोदे
विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं एकपाशी)
बिहार, पटना।

विषय:-

मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के अनुसूचित जनजाति घटक के अधीन कुल 07 योजनाओं के उन्नयनार्थ राप्ता-5 में अंकित तन्वाई (कि०मी०) एवं रात्ताम-7 में उन्नयनार्थ हेतु कुल राशि रु० 1199.390 लाख रूपये मात्र है, पर (कुल 25 योजना) घटनोत्तर प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किये जाने के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के अनुसूचित जनजाति घटक के अधीन कुल 05 योजनाओं के उन्नयनार्थ समर्पित विरत परियोजना प्रतिवेदन जिसकी अनुमोदित राशि 0 से 5 करोड़ के बीच में है पर सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त है जिसके लिए रात्ताम 07 में अंकित कुल राशि 1199.390 लाख मात्र है पर घटनोत्तर प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया जाता है।

Sl. No	Division	Block	Name of Road	विस्तार एवं नये बरतने वाले की लम्बाई (km)	Cost of Upgradation/ Strengthening with surface (in lakhs)	Estimated Cost (in Lakhs)
1	2	3	4	5	6	7
1	Buxar	Simri	Simri Aspal to Hanuman Mandir	0.950	34.496	34.496
2	Buxar	Simri	Simri Bazar to Mission More	1.500	43.621	43.621
3	Buxar	Simri	Keshonpur Water plant ke Andar Heliapad to PCC Road tak Path Nirman	0.230	33.477	33.477
4	Buxar	Simri	Purana Bhojpur Simri Path to sorbarsa Via Majhiwari, Dulhapur Path	1.300	38.854	38.854
5	Buxar	Simri	Rajpur to Malachakkiya Road via Chhotka Rajpur Shivala Path	1.410	44.822	44.822
6	Buxar	Buxar	Dudhachak to Mission More Via Budka Gaon Nal Path	1.325	43.126	43.126
7	Aurangabad	Deo	Dev to Parbhaya Via Ketaki	3.000	3.681	3.681
8	Aurangabad	Deo	MR to Road from Deo More to Kurnhar Bigha & five year Maintenance	1.900	7.739	7.739
9	Aurangabad	Deo	Deo to Kachanpur	5.900	3.652	3.652
10	Aurangabad	Nabinagar	Chandragarh to Gajandham Via Mungu Bhagwanpur Tak Road	12.850	42.242	42.242
11	Aurangabad	Nabinagar	T03- Nabinagar to Khajuri Tikka (V/R3)	0.700	4.616	4.616
12	Gopalganj-1	Gopalganj	Const. of Road Khairatia Jharliarpur Karatia Road and Pot Repair Work in 2.00 Km Part of Yadapur to Thawe Durva Mandir Road	3.800	119.316	119.316
13	Chakia	Keshwariya	Repair of Road from PWD Road to Sundarpur to Yaduv Tola	0.664	22.82	22.82
14	Barh	Alimnagar	NH-31-A to New Block Office Alimnagar	0.650	52.974	52.974

NR

1/1

Sr. No	Position	Block	Name of Road	Area in sq. ft. or sq. feet (Gross)	Cost of Preparation Strengthening with surface (in lakhs)	Total Estimated Cost (in lakhs)
1	2	3	4	5	6	7
19	M. Bhandari	Kalrahi	Repair of Road from Heli to Shivpuri via Dahanu	3.660	191.310	191.310
10	M. Bhandari	Kalrahi	Rel to Kandioli	1.800	11.508	11.508
17	M. Bhandari	Rajwade	Bulandia hut to Bhandari	3.880	19.409	19.409
18	M. Bhandari	Rajwade	1058.4 m to Bhandari			
19	M. Bhandari	Rajwade	Border (VRSR)	1.500	9.438	9.438
20	Jamul	Jamul	Kalrahi to Kalrahi Ghat	1.410	67.918	67.918
21	Jamul	Jamul	Chandani Sonpuri Indar Vin	2.040	117.6473	117.6473
22	Jamul	Jamul	Sonpuri Ware House to Labour Superintendent Office & Khilman & Heliand (Sonpuri)	1.588	80.23574	80.23574
23	Jamul	Jamul	Khatapur Manojwari Gato Nawada Road to ware House (Sonpuri)	1.727	117.07762	117.07762
24	Jamul	Khilman	Jamul Jhagha PWD Road to Sonpuri	1.294	73.75647	73.75647
25	Jamul	Khilman	Jamul Khilwadi Main Road to Telatband Road Heliand & Subharthai	0.3667	12.588	12.588
	Average/Total	Baran	Jambhura to Purusa	1.00	3.445	3.445
			Total	85.978		1199.320

४७१३-००-७९६-०११०, मूल वजट उपबंध-७५ करोड रु०

संबंधित कार्यपालक अभियंता, संबंधित कार्य प्रमण्डल योजनाओं के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। नियंत्री एवं व्ययन पदाधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यों का विशिष्टताओं/विशिष्टि के अनुरूप कार्याचित करायकर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं व्ययन करेंगें। किस्सी प्रकार की अनियमितता के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकरी (कार्यपालक अभियंता) पूर्णतः जिम्मेवार होंगें।

4. सारणी में अंकित योजनाओं का विभागीय रूप से कार्य सम्पादन संबंधित कार्यपालक अभिवृत्ता द्वारा कराया जायेगा।

इन योजनाओं के चयन के प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री महोदय का अनुमोदन संचिका संख्या-मु030 (अ0उ0)-4515-01-97/2025, दिनांक-30.03.25 को प्राप्त है।

अनुमोदन के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार अपर मुख्य सचिव महोदय, ग्रामीण कार्य विभाग, विहार, पटना द्वारा सांघिका संख्या- मु0अ0 (अ0उ0)-4515-01-97 / 2025 में दिनांक 23.03.25 को पृ0-22/टि0 पर प्राप्त है।

याजनाओं के कार्यान्वयन के पूर्व डी0पी0आर0 पर कार्यालक अभियंता द्वारा सक्षम प्राधिकार से प्रावधिक स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।

वाजनाभा को तकनीकी स्वीकृति प्रदान किये जाने के क्रम में प्रावधानित प्रत्येक मद की संभाव्यता की जाँच सक्षम प्राधिकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

योजना किन्हीं अन्य अनुरक्षण कार्यक्रम से अच्छादित नहीं हो।

प्रक्रियानुसार सभी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के उपरान्त ही योजना कार्यान्वित की जाय।

11. विहार कोषागार साहिता निहित प्राध्यानों के आलोक में वजट प्राध्यान के अन्तर्गत निधि की उपलब्धता के आधार पर उगत योजना हेतु राशि की निकारी की जायेगी।
12. वित्त विभाग के संकल्प सं०-1288 दिनांक 03.12.2024 में निहित निर्देशों को अक्षरशः पालन किया जायेगा तथा विहार वित्त नियमावली के सुरांगत प्राध्यानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जायेगी।
13. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुनर्वित्तियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।
14. प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अन्दर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
15. संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा योजना के वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 5 तारीख तक ऑन लाइन प्रविष्टि कराते हुए अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के माध्यम से विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध कराएंगे।
16. योजना के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण, सरकार से निर्गत आदेशों में प्रावधानित सक्षम नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अन्तराल पर अनिवार्य रूप से किया जायेगा एवं कार्यों को स-समय तथा गुणवत्ता पूर्वक सम्पन्न कराना सुनिश्चित कराया जायेगा। योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता की स्थिति में दोषी पदाधिकारी उत्तरदायी माने जाएंगे।
17. वित्त विभाग के संकल्प सं०-1288 दिनांक 03.12.2024 की कंडिका-17 के आलोक में संबंधित योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति की वैधता स्वीकृत्यादेश निर्गत करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि तक वैध रहेगी।
18. स्वीकृत्यादेश प्रारूप आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या- मु०अ० (अ०उ०)-4515-01-97/2025 के पृ०-१८/टि० पर दिनांक-११.०७.२५ को प्राप्त है।

विहवासमानजन

(उज्ज्वल कुमार सिंह)

विशेष सचिव

ज्ञापक- मु०अ० (अ०उ०)-4515-01-97/2025 -८९८ /पटना, दिनांक- ३१.०७.२०२५
प्रतिलिपि-संबंधित कोषागार पदाधिकारी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विशेष सचिव।

ज्ञापक- मु०अ० (अ०उ०)-4515-01-97/2025 -८९८ /पटना, दिनांक- ३१.०७.२०२५
प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (आय-व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित उप विकास आयुक्त, /अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव वजट शाखा, ग्रामीण कार्य विभाग/संबंधित मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/संबंधित अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य अंचल/संबंधित कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमंडल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित एवं आई०टी० नोडल पदाधिकारी को MIS में अपलोड करने हेतु एवं आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

विशेष सचिव।